न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या 853/2020 (2020/00853)/अजमेर

1. देवकरण दत्तक पुत्र मिश्री लाल जाति जाट निवारी लोरड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

---अपीलार्थी

बनाम

1. किशोर पुत्र जीवराज जाति जाट निवासी लोरडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, बिजयनगर दिनांक 08–11–2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 01/2019

उपस्थित– 1. श्री शंकर लाल चौधरी, अभिभाषक, अपीलार्थी
2. श्री प्रदीप बिश्नोई, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 14-12-2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 किशोर पुत्र जीवराज ने तथाकथित गोदनामा जिसमें मिश्री पुत्र सांवला का दत्तक पुत्र मानते हुए मिश्री पुत्र सांवला की विरासत अपने नाम स्वीकृत कराने हेतु तहसीलदार बिजयनगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 135(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसकी जांच पश्चात पटवारी हलका की रिपोर्ट एवं गवाहों की गवाही के आधार पर तहसीलदार, बिजयनगर ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को मिश्री लाल पुत्र सांवला का गोद पुत्र मानते हुए अपने आदेश दिनांक 8–11–2019 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 किशोर के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में विरासत दर्ज करने के

Scanned with CamScanner

आदेश पारित कर दिये। अतः तहसीलदार, बिजयनगर के उक्त आदेश दिनांक 8–11–2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा पारित आदेश दिनाक 8–11–2019 की सर्वप्रथम जानकारी अपलार्थी को दिनांक 4–3–2020 को पटवार हलका के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गया तब पटवारी द्वारा जानकारी दी गई जिसके पश्चात उसी दिन तहसील बिजयनगर कार्यालय में उपस्थित होकर नकल हेतु प्रार्थना पत्र पस्तुत किया तथा दिनांक 6–3–2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1702 दिनांक 16–12–2019 प्रत्यर्थी संख्या–1 क पक्ष में स्वीकृत किया जा चुका था। तत्पश्चात आदेश व नामान्तररकरण एवं दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर कारोना महामारी के कारण तथा सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिये जाने के कारण उक्त अपील निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। लॉकडाउन खत्म होने के उपरान्त अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर बिना विलम्ब के अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी उक्त आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5

Scanned with CamScanner

के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार, बिजयनगर ने उक्त प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के आधार पर दर्ज कर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु सार्वजनिक सूचना प्रेषित की तथा वर्तमान अपीलार्थी को नोटिस जारी किये जिसके पश्चात वर्तमान अपीलार्थी ने तहसीलदार बिजयनगर के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि मिश्री लाल पुत्र सांवला ने देवकरण प्राकृतिक पुत्र रामदेव को दिनांक 10–1–2019 को रजिस्टड गोदनामे के आधार पर गोद लिया है जिसका पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय बिजयनगर के यहां निष्पादन कर पंजीकृत किया गया जिसके आधार पर जब मिश्री पुत्र सांवला की मृत्यु हुई तो उसके सामाजिक रीतिरिवाज के अनुसार क्रिया कर्म बाहरवे की रस्म तथा पगडी दस्तूर में पगडी भी अपीलार्थी के ही बांधी गई थी। इस प्रकार वर्तमान अपीलार्थी ने एवं रामदेव पुत्र उगमा, दूदा राम पुत्र रामदेव, रामस्वरूप पुत्र उगमा, प्रेम पत्नी रामदेव आदि स्वतंत्र गवाहों ने तहसीलदार बिजयनगर के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाकर यह सिद्ध किया था कि मिश्री पुत्र सांवला ने देवकरण पुत्र रामदेव को ही गोद लिया था तथा वही उनकी सेवा चाकरी करता था। किशोर पुत्र जीवराज ने कभी कोई किसी तरह की सेवा नहीं की। इस प्रकार जब तहसीलदार बिजयनगर के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य सामने आने के पश्चात अपीलार्थी के पक्ष में गोदनामा के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु उन्होंने किशोर प्रत्यर्थी संख्या–1 मिश्रीलाल का गोदपुत्र मानकर उसके पक्ष में विरासत दर्ज करने का विवादित आदेश दिनांक 8–11–2019 पारित करने में अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग किया है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार बिजयनगर ने आदेश दिनांक 8–11–2019 पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि जब मिश्रीलाल पुत्र सावलां की मृत्यु हुई तब जो शोक सन्देश छपवाये गये उसमें भी अपीलार्थी देवकरण का ही मिश्रीलाल के पुत्र के रूप में अंकन किया हुआ है। जो अपील के साथ प्रस्तुत शोक सन्देश से सिद्ध है। तहसीलदार ने एक पक्ष को फायदा पहुंचाने की नियत से विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि तहसीलदार बिजयनगर ने आदेश दिनांक 8–11–2019 पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को भी नजर अन्दाज किया कि जब अपीलार्थी ने उनके समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि देवकरण द्वारा दिनांक 10–1–2019 को पंजीकृत गोदनामा एवं दिनांक 9–7–2019 को ग्राम दौलतपुरा प्रथम द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र की प्रति पेश कर बयान किये कि मिश्री लाल द्वारा उन्हें गोद लिया गया तथा मिश्री लाल की

Scanned with CamScanner

पगडी भी देवकरण के ही बांधाई गयी तथा मिश्रीलाल पुत्र सांवला की भूमि पर प्रारम्भ से ही अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उनके समक्ष मिश्री लाल द्वारा किशोर पुत्र जीवराज जाटके विरूद्ध न्यायालय माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ब्यावर के समक्ष विचाराधीन दीवनी वाद संख्या 33/2014 की छाया प्रति प्रस्तुत की थी जिससे स्पष्ट है कि मिश्री लाल ने अपने जीवनकाल में किशोर को गोदपुत्र के रूप में अंगीकार नहीं किया। इस प्रकार तहसीलदार बिजयनगर ने उक्त तथ्यों को भी अनदेखा कर आदेश दिनांक 8–11–2019 पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने एवं स्वतंत्र गवाहों ने तहसीलदार के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाये थे जिसमें यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया था कि मिश्री लाल पुत्र सांवला ने तथाकथित गोदनामा दिनांक 16–9–2010 के आधार पर जिस तरह से किशोर अपने आपको मिश्रीलाल पुत्र सांवला का गोदपुत्र मानता है परन्तु स्वयं मिश्रीलाल ने अपने जीवनकाल में पूर्व में कराये गये तथाकथित गोदनामा को निरस्त मानते हुए अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा दिनांक 10–1–2019 को पंजीकृत किया गया है। इसके आधार पर मिश्रीलाल पुत्र सांवला की विरासत वर्तमान अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत की जानी चाहिए थी परन्तु तहसीलदार बिजयनगर ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर तहसीलदार बिजयनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2019 को निरस्त कर मिश्री लाल पुत्र सांवला की विरासत का नामान्तरकरण गोदनामा के अआधार पर अपीलार्थी देवकरण दत्तक पुत्र मिश्रीलाल के नाम स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मिश्री लाल पुत्र सांवला एवं उनकी पत्नी ने किशोर जाट को सहर्षरूप से गोद लिया था तथा उसका गोदनामा भी दिनांक 16–9–2010 को उपपंजीयन कार्यालय बिजयनगर से पंजीयन करवाया गया है। साथ ही मिश्री लाल पुत्र सांवला के राशनकार्ड, आधार कार्ड, शादी के कार्ड एवं बैंक की पास बुक आदि में प्रत्यर्थी संख्या 1 किशोर पुत्र मिश्री लाल का अंकन किया हुआ है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत कोई भी विधि मान्य किया गया दत्तक रद्ध नही किया जायेगा। कोई भी दत्तक पुत्र/पुत्री जो विधि अनुसार मान्यता किया गया है पिता या माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्ध नहीं किया जा सकेगा और ना दत्तक अपत्य अपनी ऐसी हैसियत का त्याग कर सकेगा और ना ही अपने कुटुंब में वापस जा सकेगा। मिश्री लाल पुत्र सांवला ने प्रत्यर्थी संख्या–1 किशोर जाट को विधिपूर्वक गोद लिया था मिश्री लाल को दत्तक रद्ध करने का कोई अधकार नहीं था। गोदनामा की दिनांक 16–9–2010 से ही मिश्री लाल एक पुत्र के पिता थे एवं हिन्दू दत्तक एवं उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 11(1) के

Scanned with CamScanner

अनुसार एक पुत्र का पिता दूसरे पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध मिश्री द्वारा न्यायालय में दर्ज किये गये वाद की प्रतिलिपि स्वरूप आपत्ति प्रस्तुत की है जिसमें संबंध में राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। पिता पुत्र के मध्य कानूनी विवाद होने की स्थिति में उनके पिता पुत्र के संबंध समाप्त नहीं हो सकते है। साथ ही तहसीलदार बिजयनगर द्वारा 25 अक्टूबर, 2019 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई गई थी कि श्री किशोर पुत्र जीवराज कौम जाट निवासी लोरड़ी ने एक पंजीकृत गोदनामा स्व0 मिश्रीलाल पुत्र सांवल कौम जाट के विरासत के नामान्तरकरण हेतु पेश किया है। उक्त नामान्तरकरण से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यालय समय में मय साक्ष्य उपस्थित होकर उपत्ति पेश करे बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 किशोर के पक्ष में मिश्री लाल पुत्र सांवल की विरासत दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिनांक 8–11–2019 पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि मिश्री लाल पुत्र सांवल एवं उनकी पत्नी ने अपने जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या 1 किशोर पुत्र जीवराज जाट को दिनांक 16–9–2010 को जरिये पंजीकृत गोदनामा के आधार पर 18 वर्ष की आयु में गोद लिया गया था। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध गोदनामा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो प्रति, विवाह पंजिका में किशोर पुत्र मिश्रीलाल अंकित है। अगर कोई विवाहित दंपति बच्चे को गोद लेना चाहता है तो पति पत्नी दोनों की सहमति जरूरी है। इससे यह स्पष्ट है कि मिश्रीलाल एवं उनकी पत्नी ने दोनो की सहमति से एवं रिश्तेदारों के सामने प्रत्यर्थी संख्या –1 किशोर को अपना गोदपुत्र स्वीकार किया है। श्रीमति भाली देवी जाट पत्नी मिश्रीलाल की मृत्यु दिनांक 11–11–2017 को होने के पश्चात मिश्री लाल ने देवकरण दत्तक पुत्र को दिनांक 10–1–2019 को जरिये पंजीकृत गोदनामा गोद लिया है तथा मिश्रीलाल की सेवाचाकरी नहीं करने के कारण पूर्व में उनके द्वारा जारी गोदनामा दिनांक 10–1–2019 को निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत कोई भी विधि मान्य किया गया दत्तक गोदनामा रद्ध नहीं किया जा सकता है कोई भी दत्तक जो विधिमान्यता किया गया है पिता या माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्ध नहीं किया जा सकेगा। हिन्दू दत्तक अधिनियम 1956 में 15 वर्ष तक के बच्चे गोद लेने का प्रावधान है कि यदि कोई माता पिता किसी पुत्र या पुत्री को गोद देता है तो गोद देने वाले परिवार के यहां

Scanned with CamScanner

से उसके सभी कानूनी हक खत्म हो जाते है और जिस माता–पिता ने उसे गोद लिया है उसके यहां बच्चे को सभी कानूनी अधिकार मिल जाते है।

पत्रावली में उपलब्ध पंजीकृत गोदनामें का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि मिश्री लाल पुत्र सांवल एवं उनकी पत्नी से दोनों की सहमति से दिनांक 16–9–2010 को किशोर पुत्र जीवराज को विधिपूर्वक गोद लिया है तथा दिनांक 16–9–2010 को 100 रूपये के स्टॉम्प पर टंकित गोदनामे मे मिश्री पुत्र सांवल जाति जाट निवासी ग्राम लोरड़ी तहसील मसूदा की उम्र 60 वर्ष एवं श्रीमति भाली धर्म पत्नी मिश्रीलाल की उम्र 55 वर्ष अंकित की हुई है तथा किशोंर की उम्र 20 वर्ष अंकित की हुई है। इसी प्रकार दूसरा पंजीकृत गोदनामा दिनाक 10–1–2019 को 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर टंकित किया हुआ है जिसमें गवाहों के हस्ताक्षर भी किये हुए है। उक्त गोदनामें में मिश्री लाल पुत्र सांवल जाट निवासी ग्राम लोरड़ी की आयु 55 वर्ष अंकित की हुई है तथा मिश्री लाल के अंगूठा निशानी में भी अंतर है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उपपंजीयक बिजयनगर के यहां पंजीकृत गोदनामा दिनांक 16–9–2010 को पंजीकृत किया हुआ है जिसमें मिश्रीलाल की आयु 60 वर्ष दर्शा रखी है तथा दिनांक 10–1–2019 को पंजीकृत गोदनामा में मिश्री लाल की आयु 55 वर्ष दर्शा रखी है जबकि 2010 में पंजीकृत गोदनामे के अनुसार मिश्री लाल की आयु 69 वर्ष होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि उक्त गोदनामा आनन–फानन में फर्जकारित करके पजीकृत करवाया जाना एवं सन्देहास्पद प्रतीत होता है। केवल मृतक की पगड़ी दस्तूर एवं क्रियाकर्म कर देने एवं शोक संदेश में नाम अंकित होने मात्र से किसी को गोदपुत्र नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2019 विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 01/2019 बउनवानी सरकार बनाम किशोर पुत्र जीवराज विधिसम्मत होने से यथावत बहाल रखा जाता है।

Scanned with CamScanner